भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 931

(13 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित आवास

931. कुमारी चन्द्राणी मुर्मु:

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

श्री बसंत कुमार पंडा:

श्री रमेश बिधुडी:

श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश , विशेषकर ओडिशा और कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत निर्मित आवासों की राज्य-वार और जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का विशेषरूप से ओडिशा के क्योंझर जिले सहित राज्य-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर ओडिशा में पीएमएवाई-जी के तहत कितने लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा आवासों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ड.) क्या योजना के कार्यान्वयन के दौरान सरकार को किसी प्रकार की कमियों का सामना करना पड़ा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान देश में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत बनाई गई/ निर्मित आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और ओडिशा

तथा कर्नाटक में निर्मित जिले-वार मकानों की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्मित मकानों का जिले-वार ब्यौरा इस कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in--->AwaasSoft--->Reports---> एक वित्तीय वर्ष में निर्मित मकान चाहे उसको पूरा करने का लक्ष्य वर्ष कोई भी हो, पर देखा जा सकता है

(ख): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानते हुए सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाती है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ये निधियां विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी किया गया केंद्रीय अंश और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। ओडिशा के क्योंझर जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (09.12.2022 तक) के दौरान केंद्रीय और राज्य अंश दोनों से उपयोग की गई निधियां क्रमशः 344.73 करोड़ रुपए, 226.47 करोड़ रुपए, 61.19 करोड़ रुपए और 11.48 करोड़ रुपए हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जारी की गई निधि का जिले-वार ब्यौरा इस कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in---->AwaasSoft---->Reports----> उच्च स्तरीय वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): पीएमएवाई-जी योजना की शुरूआत अर्थात 01 अप्रैल, 2016 से 09.12.2022 तक आवंटित लक्ष्यों, लाभार्थियों को स्वीकृत मकानों और निर्मित मकानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या के साथ-साथ ओडिशा का जिला-वार आंकड़ा **अनुबंध-III** में दिया गया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत स्वीकृत मकानों का जिले-वार ब्यौरा इस कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in---->AwaasSoft---->Reports----> लक्षित वित्तीय वर्ष की तुलना में मकानों की प्रगति, पर देखा जा सकता है।

(ङ.): पीएमएवाई-जी में आज तक सामने आई प्रमुख कमियां कोविड- 19 के कारण लगे प्रतिबंधों की वजह से मकानों के निर्माण में देरी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से राज्य के राजकोष से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में केंद्रीय और राज्य अंश जारी करने में विलंब, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटित करने में देरी, लाभार्थियों के अनिच्छुक होने, स्थायी रूप से प्रवास किए जाने, विवादित उत्तराधिकार के मामले, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता न होने और कई बार आम/विधान सभा/पंचायत चुनाव हैं।

****

अनुबंध-I

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित मकानों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 931 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान दिनांक 9.12.2022 तक देश में, विशेष रूप से ओडिशा तथा कर्नाटक में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्मित आवासों की राज्य-वार संख्या

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मित आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	4,156
2	असम	3,32,582
3	बिहार	18,27,194
4	छत्तीसगढ़	1,17,561
5	गोवा	109
6	गुजरात	1,63,613
7	हरियाणा	8,148
8	हिमाचल प्रदेश	2,936
9	जम्मू और कश्मीर	69,924
10	झारखंड	6,87,028
11	केरल	3,905
12	मध्य प्रदेश	11,38,191
13	महाराष्ट्र	4,53,053
14	मणिपुर	7,156
15	मेघालय	17,020
16	मिजोरम	3,278
17	नागालैंड	4,222
18	**ओडिशा**	**8,53,436**
19	पंजाब	9,791
20	राजस्थान	6,23,591
21	सिक्किम	52
22	तमिलनाडु	1,59,176
23	त्रिपुरा	23,256
24	उत्तर प्रदेश	13,06,530
25	उत्तराखंड	4,055

26	पश्चिम बंगाल	19,24,146
27	अण्डमान और निकोबार	1,104
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,834
29	लक्षद्वीप	44
30	पुदुचेरी	-
31	आंध्र प्रदेश	5
32	**कर्नाटक**	**20,729**
33	तेलंगाना	-
	कुल	**97,67,825**

दिनांक 9.12.2022 तक ओडिशा तथा कर्नाटक राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्मित आवासों की जिले-वार संख्या

(इकाई संख्या में)

क्र.सं	कर्नाटक के जिले	निर्मित मकान	ओडिशा के जिले	निर्मित मकान
1	बागलकोट	3,130	अंगुल	17,841
2	बेल्लारी	220	बालेश्वर	56,206
3	बेलगावी	553	बरगढ़	45,632
4	बेंगलुरु	207	भद्रक	44,254
5	बेंगलुरु ग्रामीण	156	बोलांगीर	71,984
6	बीडर	2,848	बौध	26,426
7	चामराज नगर	1,038	कटक	15,496
8	चिक्कबल्लपुरा	133	देवगढ़	5,038
9	चिक्कामगलुरु	694	ढेंकनाल	28,496
10	चित्रदुर्ग	53	गजपति	4,883
11	दक्षिण कन्नड़	1,187	गंजम	11,063
12	दावनगेरे	1,024	जगतसिंहपुर	6,885
13	धारवाड़	1,387	जाजपुर	27,188
14	गडग	230	झारसुगुडा	11,300
15	हासन	2	कालाहांडी	54,712
16	हावेरी	7	कंधमाल	8,495
17	कलबुर्गी	195	केंद्रपाड़ा	25,001
18	कोडागू	1,167	केंदुझार	48,278
19	कोलार	267	खोरधा	5,474
20	कोप्पल	6	कोरापुट	25,087
21	मंड्या	42	मल्कानगिरी	5,294
22	मैसूर	497	मयूरभंज	1,07,803
23	रायचूर	455	नबरंगपुर	47,324
24	रामनगर	302	नयागढ़	14,396
25	शिवमोगा	9	नुआपाड़ा	29,338
26	तुमकुरु	0	पुरी	17,774
27	उडुपी	1,566	रायगढ़	17,065
28	उत्तर कन्नड़	930	संबलपुर	7,358
29	विजयनगर	0	सोनपुर	28,646
30	विजयपुरा	1,013	सुंदरगढ़	38,699
31	यादगीर	1,411		
	कुल	**20,729**	**कुल**	**8,53,436**

अनुबंध-II

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित मकानों के संबंध में लोक सभा में दिनांक13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 931 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान(07.12.2022 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंश सहित जारी किया गया केंद्रीय अंश और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		जारी की गई केंद्रीय निधि	उपयोग	जारी की गई केंद्रीय निधि	उपयोग	जारी की गई केंद्रीय निधि	उपयोग	जारी की गई केंद्रीय निधि	उपयोग
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.40	0.00	5.97	104.85	16.70	0.00	110.19
2	असम	1,433.97	2,046.75	1,503.43	1,269.44	5,771.11	2,195.33	2,463.00	6,258.33
3	बिहार	4,902.97	8,265.94	6,683.93	10,004.40	3,082.22	5,954.40	5,620.91	10,096.40
4	छत्तीसगढ़	562.55	989.82	307.12	983.99	0.00	31.32	0.00	302.85
5	गोवा	0.00	0.80	0.00	0.53	0.00	0.37	0.00	0.11
6	गुजरात	385.56	798.10	192.78	495.64	687.29	893.09	0.00	518.63
7	हरियाणा	34.55	63.35	0.00	13.27	0.00	17.26	14.74	36.41
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	11.10	10.62	23.40	32.97	44.03	25.32	23.89
9	जम्मू कश्मीर	67.69	221.42	795.86	599.35	123.43	419.37	522.89	420.36
10	झारखंड	2,442.76	3,396.56	3,348.51	3,750.22	1,207.91	4,237.82	645.74	1,470.77
11	केरल	0.00	11.80	0.00	25.05	0.00	66.87	35.15	74.02
12	मध्य प्रदेश	2,291.98	4,176.03	4,565.80	4,068.96	4,509.58	8,046.72	4,799.16	9,443.51
13	महाराष्ट्र	1,815.33	1,924.76	1,310.10	2,433.50	1,249.80	2,003.81	838.04	1,662.47
14	मणिपुर	10.30	12.83	84.89	93.49	21.01	26.86	80.51	82.20
15	मेघालय	22.60	57.97	191.08	185.54	90.13	72.51	0.00	67.28
16	मिजोरम	0.00	31.80	16.16	13.82	41.92	5.83	0.00	46.74
17	नागालैंड	0.00	15.25	17.40	2.12	17.41	20.44	0.95	16.68
18	ओडिशा	2,197.33	5,460.06	2,821.87	4,556.46	1,011.87	1,122.72	0.00	235.76
19	पंजाब	0.00	36.01	49.22	59.10	18.31	60.73	70.56	54.14
20	राजस्थान	2,933.34	2,923.49	1,108.59	3,679.45	1,405.46	2,332.48	1,078.76	2,138.76
21	सिक्किम	0.65	0.37	0.00	0.28	0.57	0.06	0.00	1.30
22	तमिलनाडु	487.52	996.93	78.62	672.61	928.93	668.85	667.46	1,632.55
23	त्रिपुरा	229.52	210.50	113.62	98.30	1,368.48	1,110.96	633.22	1,064.11

24	उत्तर प्रदेश	1,145.64	2,207.35	4,830.90	5,990.29	3,727.00	7,869.83	0.00	311.97
25	उत्तराखंड	0.00	5.71	0.00	1.31	149.18	138.33	0.00	65.62
26	पश्चिम बंगाल	5,976.00	8,854.41	8,810.54	10,037.60	687.84	5,425.24	0.00	1,021.24
27	अण्डमान और निकोबार	0.00	1.12	16.88	8.53	0.00	1.87	0.00	0.33
28	दादरा और नगर हवेली	55.98	23.33	0.00	33.46	0.00	21.85	0.00	7.57
29	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00	0.35	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
31	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.21
33	कर्नाटक	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
	कुल	**27,305.84**	**42,744.35**	**36,857.93**	**49,106.09**	**26,237.24**	**42,805.64**	**17,497.91**	**37,217.38**

अनुबंध-III

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवंटित मकानों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 931 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-जी योजना की शुरूआत अर्थात 01 अप्रैल, 2016 से 09.12.2022 तक आवंटित लक्ष्यों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार/प्रशासन द्वारा लाभार्थियों को आवंटित/स्वीकृत मकानों और निर्मित मकानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

(इकाई संख्या में)

क्र.सं	राज्य का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	38,384	35,987	9,818
2	असम	20,84,070	14,58,162	7,03,332
3	बिहार	38,62,734	36,95,921	33,47,538
4	छत्तीसगढ़	11,76,150	10,97,097	8,28,912
5	गोवा	1,707	248	140
6	गुजरात	4,49,167	4,32,859	3,99,237
7	हरियाणा	30,789	28,237	22,566
8	हिमाचल प्रदेश	15,483	15,383	11,195
9	जम्मू और कश्मीर	2,01,633	1,95,268	1,13,314
10	झारखंड	16,03,268	15,82,862	14,14,178
11	केरल	42,212	34,886	24,597
12	मध्य प्रदेश	37,89,400	37,54,658	30,87,221
13	महाराष्ट्र	15,05,983	12,99,206	9,37,228
14	मणिपुर	46,166	36,456	18,470
15	मेघालय	80,848	65,279	34,327
16	मिजोरम	20,518	18,374	6,167
17	नागालैंड	24,775	22,351	5,235
18	ओडिशा	**26,95,837**	**18,36,367**	**17,13,224**
19	पंजाब	41,117	38,680	24,506
20	राजस्थान	17,33,959	17,24,383	15,42,723
21	सिक्किम	1,409	1,371	1,087
22	तमिलनाडु	8,17,439	7,61,912	4,59,702
23	त्रिपुरा	2,82,238	2,49,098	1,98,662

24	उत्तर प्रदेश	34,78,718	26,70,415	25,95,313
25	उत्तराखंड	47,654	32,856	27,514
26	पश्चिम बंगाल	46,18,847	34,68,686	33,88,963
27	अण्डमान और निकोबार	1,631	1,347	1,168
28	दादरा और नगर हवेली	6,763	5,539	2,913
29	दमन और दीव	68	47	13
30	लक्षद्वीप	53	53	44
31	पुदुचेरी*	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	2,56,270	1,82,632	46,726
33	कर्नाटक	3,07,746	1,61,873	1,01,676
34	तेलंगाना*	0	0	0
35	लद्दाख	1,992	1,906	1,429
	कुल	**2,92,65,028**	**2,49,10,399**	**2,10,69,138**

* पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

पीएमएवाई-जी योजना की शुरूआत अर्थात 01 अप्रैल, 2016 से 09.12.2022 तक ओडिशा में लाभार्थियों को स्वीकृत और निर्मित मकानों की जिले-वार संख्या

क्र.सं	जिले का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अंगुल	42,126	40,265
2	बालेश्वर	1,14,449	1,01,030
3	बारगढ़	94,973	89,500
4	भद्रक	84,089	76,008
5	बोलांगीर	1,40,784	1,35,376
6	बौध	49,581	44,979
7	कटक	46,515	44,381
8	देवगढ़	13,420	12,921
9	ढेंकनाल	56,189	54,898
10	गजपति	14,990	13,912
11	गंजम	43,775	42,471
12	जगतसिंहपुर	17,866	16,366
13	जाजपुर	60,280	57,317
14	झारसुगुडा	23,781	23,521
15	कालाहांडी	1,01,436	91,275
16	कंधमाल	25,162	24,513

17	केंद्रपाड़ा	55,561	47,978
18	केंदुझार	1,00,710	94,063
19	खोरधा	19,662	18,684
20	कोरापुट	54,808	52,439
21	मल्कानगिरी	21,076	20,062
22	मयूरभंज	2,12,901	1,92,783
23	नबरंगापुर	88,720	83,962
24	नयागढ़	31,266	29,668
25	नुआपाड़ा	55,666	52,301
26	पुरी	40,488	36,500
27	रायगढ़	38,355	35,864
28	संबलपुर	39,348	39,127
29	सोनपुर	53,697	49,176
30	सुंदरगढ़	94,693	91,884
	कुल	**18,36,367**	**17,13,224**

******